बिहार विधान परिषद

(202वां शीतकालीन सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

16 दिसंबर 2022

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी].

Total Short Notice Question- 10

शिकायतों का ससमय निस्तारण

*22 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सेवानिवृत्त अथवा सेवारत सरकारी कर्मियों के साथ-साथ विद्यालय-विश्वविद्यालय के शिक्षाकर्मियों से संबंधित सेवांत लाभ तथा वेतन बकाया वेतनान्तर का भुगतान ससमय नहीं होने के कारण शिकायत संबंधी परिवादों में अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे मामलों के ससमय निस्तारण हेतु सभी विभागीय प्रमुख को तत्परतापूर्वक यथोचित कार्रवाई के लिए विशेष निदेश देना चाहती है ताकि शिकायत संबंधी परिवादों में कमी आए और शासनतंत्र पर आमजनों का भरोसा एवं विश्वास बढ़े?

कक्षा संचालन हेतु विचार

*23 **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिवहर डिग्री कॉलेज में नियमित कक्षा का संचालन नहीं होने के कारण छात्र एवं छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त डिग्री कॉलेज में नियमित कक्षा संचालन कराने हेतु विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

एल०एल०एम० की पढ़ाई कब तक

*24 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में एल०एल०एम० की पढ़ाई नहीं हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विश्वविद्यालय में एल०एल०एम० की पढ़ाई नहीं होने से भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिला के विद्यार्थियों को कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में एल०एल०एम० की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

राशि लौटाने का विचार

*25 **श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के कई विद्यालयों में भवन का निर्माण/मरम्मती नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि कई उत्क्रमित विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु मिली राशि किसी न किसी कारणवश वापस लौट जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र ऐसे

भवनों का निर्माण/मरम्मती कराने एवं विभाग को वापस लौटी राशि को दोबारा विद्यालय को देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

ग्रेड पे देने पर विचार

***26 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में नियुक्त शिक्षकों को 01 जुलाई, 2015 से 5200-20200 वेतन में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 2000 ग्रेड पे, माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए 2400 ग्रेड पे, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 2800 ग्रेड पे दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इन शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार प्राथमिक 18510, माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का 19540 तथा उच्च माध्यमिक के लिए 20560 रु० का बेसिक वेतन दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे अनुरूप बेसिक पे प्राथमिक के लिए 21700-65000, माध्यमिक एवं पुस्तकालयाध्यक्षओं के लिए 25500-93000 तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 29200-111000 देने का विचार रखती है?

रिक्त पदों को भरे जाने का विचार

***27 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना में ए०एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान की स्थापना बिहार सरकार द्वारा डॉ० अनुग्रह नारायण सिन्हा की स्मृति में की गयी थी;

(ख) क्या यह सही है कि अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान अधिनियम – 1964 के तहत 8 अक्टूबर, 1964 को विधायिका के माध्यम से एक वैधानिक स्वायत्त निकाय बनाया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि यह संस्थान नियंत्रण बोर्ड द्वारा शासित है और शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित है एवं ए० एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान में डायरेक्टर का पद 3 वर्षों से रिक्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ए०एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान के उत्थान एवं रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

सामंजन कब तक

***28 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिनांक – 10.02.1989 तक नियुक्त एवं कार्यरत तदर्थ व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील सं० – 1601-1602/2004 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में दिनांक – 14.07.2017 को सरकार के द्वारा तदर्थ व्याख्याताओं की सेवा के सामंजन हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उच्चस्तरीय समिति ने अपना जांच प्रतिवेदन सितम्बर, 2020 में ही शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को समर्पित कर दिया है, किन्तु अब तक सरकार के स्तर पर इस संबंध में कार्रवाई लंबित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि वह तदर्थ व्याख्याताओं की सेवा का सामंजन कबतक करना चाहती है?

मैथिली की प्रगति हेतु कदम उठाने का विचार

***29 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मैथिली भाषा को संविधान की अष्टम अनूसूची में स्थान मिलने के बावजूद अभी तक बिहार के स्कूलों में उसकी पढ़ाई-लिखाई को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाए जा सके हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में मैथिली भाषा के शिक्षकों की कमी, मैथिली भाषा के पुस्तकों की कमी की वजह से संविधान की अष्टम अनुसूची में स्थान मिलने के बावजूद बिहार में अभी तक मैथिली भाषा की प्रगति तथा उस दिशा में आवश्यक कदम के उठाने की कमी की वजह से कठिनाइयां बनी हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताएगी कि वह कौन-कौन से कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिकायत का प्रावधान

*30 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन में एस०पी०एम०यू० कंपनी की भूमिका तय की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि एस०पी०एम०यू० के जिम्मे कौन-कौन से कार्य आवंटित किये गए हैं, अब तक कितने मामलों का निष्पादन किया गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाएगी कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में इस कंपनी की शिकायत करने का क्या प्रावधान है और सरकार क्या उक्त मामलों का निष्पादन करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

ए०सी०पी० का लाभ कबतक

*31 **श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि श्री गोपाल राम ने चालक के पद से दिनांक – 31.12.2015 को बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् से अवकाश ग्रहण किया है, इनकी सेवा संपुष्टि दिनांक – 01.03.1985 को निदेशक, उच्च शिक्षा के कार्यालय पत्रांक आदेश सं० – 8, दिनांक – 06.01.1988 द्वारा हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि इन्हें प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति निदेशक, उच्च शिक्षा, पटना के पत्रांक – 2450, दिनांक – 31.10.2013 के द्वारा दी गई, लेकिन श्री राम के अवकाश प्राप्त होने पर भी द्वितीय एवं तृतीय कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ अबतक नहीं मिला है;

(ग) क्या यह सही है कि निदेशक (उ०शि०) का पत्रांक – 4449, दिनांक – 04.10.2021 के माध्यम से श्री राम ने द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी० का लाभ देने हेतु अनेकों बार आवेदन निदेशक के यहां समर्पित किया है;

(घ) क्या यह सही है कि दिनांक – 03.08.2018 को विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की कार्यवाही, जो निदेशक, उच्च शिक्षा, अपर सचिव, शिक्षा विभाग एवं निदेशक, राष्ट्रभाषा परिषद् की उपस्थिति में आयोजित की गई थी, उस स्क्रीनिंग कमिटी के द्वारा श्री राम के दावा को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि इन्होंने द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी० का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन ही नहीं दिया है जबकि इन्होंने निदेशक, राष्ट्रभाषा परिषद् एवं प्रधान सचिव, शिक्षा के यहां अनेकों बार आवेदन दिया है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'ख' में वर्णित तथ्यों एवं दिनांक – 15.10.2015 को श्री राम द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी० का लाभ यथाशीघ्र देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?